एक नजर में

शौर्यादल योजनान्तर्गत मास्टर ट्रेनर्स का जिला स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला संपन्न

मंदसौर। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी मंदसौर ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर ही महिला अपराधों की जानकारी प्राप्त करना और अपराध घटित होने से पूर्व ही उसे रोकने के उद्देश्य से किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को एक दल में संगठित कर मध्यप्रदेश के जिलों के ग्राम, वार्ड स्तर की आंगनवाडी क्षेत्र में शौर्यादलों का गठन किया गया। जिसमें आंगनवाडी क्षेत्र की 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग की बालिका/महिलांए सदस्य होती है। सामुदायिक स्तर पर शौर्यादल एक महत्वपूर्ण ईकाई है, साथ ही यह दल किशोरियों की भागीदारी एवं उनके क्षमतावर्धन के लिए भी एक प्रभावी मंच है, इसको ध्यान में रखते हुए महिला बाल विकास विभाग म0प्र0 के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास जिला मंदसौर के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर शौर्यादल मास्टर ट्रेनर्स कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन 27 जुन एवं 28 जून 2025 को दो बेच में जनपद पंचायत मंदसौर के सभाहाल में किया गया। जिसमें जिले की समस्त 9 परियोजना से 45 चयनित, प्रत्येक परियोजना मे 5-5 बालिकाओं ने शौर्यादल के मास्टर ट्रेनर्म के रूप में भाग लिया एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया। मास्टर ट्रेनर्स को ममता फाउडेशन यूनिसेफ में जिले में पदस्थ जिला समन्वय सौनिक मिश्रा, श्रीमती पूजा चौहान बाल संरक्षण अधिकारी महिला बाल एवं परियोजना अधिकारी मनोज कुमार दुबे मंदसौर ग्रामीण 1 व बी .आर मुजाल्दे परियोजना अधिकारी मंदसौर शहर द्वारा विस्तार में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

आबकारी विभाग ने सीतामऊ कृषि उपज मण्डी के पीछे से 54 बल्क लीटर शराब बरामद की

मंदसौर। जिला आबकारी अधिकारी मंदसौर ने बताया कि राजेन्द्रसिंह गरवाल आबकारी उप निरीक्षक वृत सीतामऊ द्वारा कलेक्टर अदिती गर्ग के आदेशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी बद्रीलाल दांगी के मार्गदर्शन में सीतामऊ कृषि उपज मण्डी के पीछे मगरा मोरखेड़ा के रास्?ते पर एक मोटरसाईकिल स्क्र-14/श्व-9330 की विधिवत तलाशी लेने पर 6 पेटी देशी मदिरा 54 बल?क लीटर बरामद की गई। जिसे जब्त कर मोटरसाईकिल सवार आरोपी फूलचंद पिता सुखराम सूर्यवंशी निवासी मोरखेड़ा एवं जितेन्द्र पिता पुनमचंद निवासी शिवगढ़ को गिरफ्तार कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में जप्?त मदिरा एवं वाहन का अनुमानित बाजार मुल्य 75 हजार 6 सौ रूपये है। कार्रवाई में आरक्षक चेतन राठौर, आरक्षक रवि राठौर, आरक्षक कपिल मारू एवं आरक्षक श्रीमती ममता भाटी मौजूद रहे।

मोहर्रम पर्व के जुलूस के दौरान 4 जुलाई को शहर की यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तन

मंदसौर। यातायात पुलिस अधिकारी मंदसौर ने बताया कि मोहर्रम पर्व के जुलूस के दौरान मंदसौर शहर की यातायात तथा वाहन डायवर्सन व्यवस्था 4 जुलाई 2025 को सायंकाल 5:00 बजे से 5 जुलाई प्रात: 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। श्रीकोल्ड तिराहा से लक्ष्मीबाई चौराहा, ओवर ब्रिज, यश बालाजी से नाहर सैय्यद दरगाह तक, बंटी पान चौराहा से लक्ष्मीबाई चौराहा तक, अफीम गोदाम चौराहा से बिलाल मस्जिद तिराहा, महाराणा प्रताप बस स्टैंड से यश बालाजी का क्षेत्र बड़े तथा मध्यम वाहनों के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बसों के लिए श्रीकोल्ड तिराहा से लक्ष्मीबाई चौराहा तक का मार्ग प्रतिबंधित रहेगा। गुप्ता कचोरी से बंटी पान चौराहा तथा आंशिक रूप से कंबल केंद्र रोड सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा।

कृषि कार्य में मृत्यु होने पर 4 लाख रू की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मंदसौर। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की कण्डिका 2(01) के तहत कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिसमें खेती से संबधीत सिंचाई कार्य भी सम्?मिलित है) दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। श्याम सिंह सोंधिया निवासी पारसी की कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्?यु हो गई थी। कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा मृतक के निकटतम वारिस अनीता कुॅवर को 4 लाख रू की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

कलेक्टर गर्ग ने दो आदतन अपराधी को किया जिलाबदर

मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमतीरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत दो आदतन अपराधी याकूब खॉ पिता बुन्दु खॉ निवासी जयपुरा खिलचीपुरा थाना नई आबादी जिला मंदसौर एवं शेरू पिता खाजू न्?यारगर निवासी बोतलगंज थाना पीपल्याम?डी जिला मंदसौर को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्?व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्?व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

जिला आबकारी विभाग में किराए पर लेने हेतु चार पहिया वाहनों की निविदा 11 जुलाई तक आमंत्रित

मंदसौर। जिला आबकारी अधिकारी मंदसौर ने बताया कि आबकारी अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य हेतु वर्ष 2025-26 की शेष अवधि हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मंदसौर के लिए चार पहियां बोलेरो, स्कार्पियों व समकक्ष हल्के वाहनों की आवश्यकता होने से 11 जुलाई 2025 तक निविदा आमंत्रित की गई है। वाहन किराये पर लेने संबंधी शर्तों की जानकारी एवं विवरण अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-मंदसौर से प्राप्त की जा सकती है।

जिले के स्लेट पेन्सिल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन 20 अगस्त तक आमंत्रित

मंदसौर। म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार - कल्याण मण्डल सचिव ने बताया कि म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष 2025-26 हेतु मंदसौर जिले के स्लेट पेन्सिल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित /विधवा सहायता प्राप्त महिलाओं एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत श्रमिकों के नियमित अध्ययनरत (केवल दो बच्चों) को मण्डल से अध्ययन हेतु प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र मण्डल कार्यालय से कार्यालयीन समय में 1 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक की अवधि में वितरित किये जावेंगे तथा उक्त अवधि में ही भरे हुए आवेदन पत्र भी जमा किये जावेंगे।समस्त पात्र छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र निर्धारित दस्तावेजों सहित पूर्ण कर पालकगण 20 अगस्त 2025 तक मण्डल कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करावें।

तपस्या और जीव दया चातुर्मास का परिचायक है : आचार्य प्रशमेशप्रभु

आचार्य भगवंत, मुनिराज एवं साध्वी जी के नगर प्रवेश में उमड़े समाज जन

नीमच। संसार में रहते हुए मनुष्य से अनजाने में होने वाले पाप कर्मों का क्षय करने के लिए चातुर्मास सशक्त माध्यम होता है। मन को पवित्र किए बिना तपस्या और जीव दया संयम का मार्ग नहीं मिलता है। मन को पवित्र करने का सबसे सशक्त माध्यम तपस्या और भक्ति है। मनुष्य जीवन में तपस्या और भक्ति को आत्मसात करें तो उसकी आत्मा का कल्याण हो सकता है।तपस्या और जीव दया चातुर्मास का परिचायक है। यह बात आचार्य प्रशमेशप्रभु ने कही। वे जैन श्वेतांबर श्री भीडभंजन पार्श्वनाथ मंदिर मंडल ट्रस्ट नीमच के तत्वाधान में पुस्तक बाजार स्थित नूतन आराधना भवन मेंआयोजित नगर प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत प्रवचन श्रृंखला धर्म सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संतों के प्रवचन में सहभागी बनने के लिए प्रत्येक जन-जन को प्रेरित करना चाहिए।चातुर्मास के चार माह में संत स्वयं भी आराधना तपस्या और साधना करते हैं और समाज जनों को भी प्रेरित करते हैं। संत द्वारा कही गई परमात्मा की वाणी को स्वयं भी आचरण में लाना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरणा देना चाहिए। तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है।धार्मिक आगम के अनुसार चातुर्मास में 5 कर्तव्य बताए गए हैं। प्रथम कर्तव्य अमारी परवर्तन जीव दया का है। जीव दया हमें हिंसा को रोकने के प्रेरणा देती है। हम सभी स्वयं जीव दया का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें तो हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है।जैन साधु संतों द्वारा अकबर बादशाह के माध्यम से अहिंसा का पालन करवाया गया था। हम सब भी जीव दया करें और दूसरों को भी प्रेरणा करें तो पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है।हम संयम चरित्र नहीं ले सके तो कोई बात नहीं उसकी साधना कर मोक्ष मार्ग की तरफ निरंतर आगे बढ़ सकते हैं श्रावक- श्राविकाओं का प्रमुख आधार साधना तपस्या सामायिक प्रतिक्रमण होते हैं। सभी श्रावक श्राविकाओं को भी साधु के आचरण से प्रेरणा लेकर जीवन में पालन करना चाहिए तभी हमें आत्म कल्याण और मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। प्राचीन काल में हर घर में सभी लोग तपस्या करते थे लेकिन आधुनिक युग में आज परिवर्तन आ रहा है। तीर्थ भूमि सिद्ध भूमि होती है। जहां से अनंत आत्माएं मोक्ष गई है। वह स्थान आज भी परिवर्तन नहीं हुआ है अनंत काल तक वह इसी प्रकार रहेगा। महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान के बाद देशना में सर्वप्रत्यय उद्देश्य व्यक्ति की साधना कौषध व्रत उपधान तप आदि साधना की प्रेरणा दी थी जो आज भी आदर्श प्रेरणादाई प्रसंग है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है इसलिए इंसान को धेर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं इसलिए हमें सदैव अच्छे पुण्य कर्म करते रहना चाहिए।

आचार्य श्री के प्रवचन नूतन आराधना भवन में सुबह 9:15 बजे से होंगे, 3 जुलाई गुरुवार को आचार्य भगवंत के प्रवचन में मुंबई कल्याण श्रीसंघ के 10 सदस्य नीमच पधारे एवं व्याख्यान में नीमच में चातुर्मास के बाद पालीताणा में होने वाले उपद्यान तप की जय बुलाई गई। इस अवसर पर राजस्थान जैन संघ पद्मावती परिसर कल्याण महाराष्ट्र के प्रतिनिधि ओटलमल शेषमल जैन परिवार जन नया जोगापुर कल्याण महाराष्ट्र का नीमच श्री संघ पदाधिकारीयों द्वारा स्वर्ण मोती माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री संघ अध्यक्ष अनिल नागौरी, सचिव मनीष कोठारी, वरिष्ठ समाजसेवी अख्खे सिंह कोठारी, प्रेम प्रकाश जैन ,वीरेंद्र सिंह लोढ़ा, ज्ञानमल चौरडिया तथा विजय छाजेड़ सहित बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित थे। धर्म सभा का संचालन ट्रस्ट सचिव मनीष कोठारी द्वारा किया गया।

सरकार की उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीतियों से प्रेरित, स्थानीय 100 युवाओं को मिला रोजगार

नीमच के युवा उद्यमी हातिम नजमी ने ए.ए.सी. ब्लॉक उद्योग से लिखी सफलता की नई गाथा

नीमच। अक्सर युवा उच्च शिक्षा के बाद एक सुरक्षित और मोटी तनख्वाह वाली नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन नीमच के एक युवा ने लीक से हटकर अपनी राह बनाई है। नीमच के विदेश से कानून की पढ़ाई कर चुके लॉ ग्रेजुएट श्री हातिम नजमी ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा लागू की गई औद्योगिक सरकारी उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीतियों से प्रेरणा लेते हुए, मात्र 22 साल की उम्र में एक बड़ी मासिक आय (10 लाख रुपये) वाली नौकरी का प्रस्ताव ठुकराकर, अपने गृह नगर नीमच में ही उद्योग स्थापित करने का साहसिक निर्णय लिया। इस निर्णय ने, न केवल उन्हें एक सफल उद्यमी बनाया है, बल्कि 100 से अधिक स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार का अवसर भी मिला हैं।

बाबजी ए.ए.सी. प्लांट: मध्य प्रदेश और राजस्थान का सबसे बड़ा निर्माण उद्योग

हातिम नजमी के उद्यम, बाबजी ए.ए.सी. ब्लॉक निर्माण उद्योग ने महज छह माह की अल्प अवधि में ही उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा, नीमच में लगभग 3 लाख वर्गफीट क्षेत्र में फैला यह प्लांट 60 करोड़ की लागत से संचालित हो रहा है। आज यह न केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान का सबसे बड़ा ए.ए.सी. ब्लॉक निर्माण उद्योग है, बल्कि देश के सबसे अत्याधुनिक और नवीनतम तकनीक से लैस ए.ए.सी. ब्लॉक निर्माण संयंत्रों में से एक भी है।

दूर-दूर तक फैली पहचान: निर्माण उद्योग में बढ़ती मांग

नीमच में बने बाबजी के ए.ए.सी. ब्लॉकों की मांग अब केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी इनका उपयोग कर रही हैं। भोपाल से बीकानेर और दिल्ली से मुंबई तक फैले निर्माण कार्यों में इन ब्लॉकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकारी निर्माण कार्यों में भी इन उच्च गुणवत्ता वाले ए.ए.सी. ब्लॉकों को प्राथमिकता दी जा रही है। हातिम नजमी की यह सफलता की कहानी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है, कि कैसे दूरदर्शिता, कड़ी मेहनत और सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाकर न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल की जा सकती है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

गुणवत्ता और किफायत का प्रतीक: बाबजी ए.ए.सी. ब्लॉक

बाबजी ए.ए.सी. ब्लॉक अपनी बेजोड़ गुणवत्ता और किफायती विशेषताओं के लिए तेजी से पहचान बना रहे हैं। ये ब्लॉक भारतीय मानक ब्यूरो के सख्त गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरे हैं, जिनकी स्ट्रेंथ ब्यूरो द्वारा तय 4 एम.पी.ए. से भी ज्यादा 5 एम.पी.ए. है। यह उच्च गुणवत्ता इन ब्लॉकों को मजबूत और टिकाऊ बनाती है। इन ब्लॉकों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये निर्माण लागत में 40 प्रतिशत तक की बचत कराते हैं। कम लागत के साथ-साथ, ये ब्लॉक मजबूत और त्वरित कंस्ट्रक्शन में भी बेहद उपयोगी हैं। ध्वनि और अग्नि प्रतिरोधी (साउंड एवं फायर प्रूफ) होने के कारण, ये आधुनिक निर्माण की जरूरतों को पूरा करते हैं।

अफजलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई- दो तस्कर गिरफ्तार, एमडीएमए ड्रग्स और डोडाचूरा बरामद

मंदसौर। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अफजलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी उनि सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने असावती-कुचड़ौद रोड पर चेकिंग के दौरान दो तस्करों को दबोचकर उनके कब्जे से 75 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स (कीमत ?7 लाख) एवं 5.900 किलो डोडाचूरा (कीमत ?12 हजार) जब्त किया। साथ ही एक बिना नंबर की एचएफ डीलक्स बाइक (कीमत ?50 हजार) भी जब्त की गई।

गिरफ्तार आरोपी गफ्फार मोहम्मद खान (39) एवं फारुख लियाकत खान (34) दोनो निवासी मुण्डलाराम, थाना कालुखेड़ा, जिला रतलाम के बताए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने नशीला पदार्थ अरविंद सिंह चंद्रावत, लसुडिया नाथी, थाना कालुखेड़ा से लाना बताया।

थाना अफजलपुर पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की विवेचना जारी है। कार्रवाई में उनि सुनील कुमार समेत पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही।

पुरानी रंजिश के कारण मारपीट करने वाले एक महिला सहित 5 आरोपियों को 03-03 माह सश्रम कारावास

नीमच। शुभा रिछारिया दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद, जिला-नीमच द्वारा पुरानी रंजीश के कारण तीन महिलाओं सहित 04 व्यक्तियों से लट्ठ से मारपीट करने वाले एक महिला सहित 05 आरोपीगण (01) शैतानबाई उर्फ अमानबाई पति विरमचंद्र ऐरवाल, उम्र-48 वर्ष, (02) सीताराम पिता विरमचंद्र, उम्र-27 वर्ष, (03) ओमप्रकाश पिता विरमचंद्र, उम्र-23 वर्ष, (04) विरम पिता प्याराचंर्द्र, उम्र-50 वर्ष तथा (05) नारायण पिता विरमचन्द्र, उम्र-27 वर्ष, सभी निवासी-नई आबादी, ग्राम-झातंला, थाना-सिंगोली, जिला-नीमच को धारा 323/149, 147 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास एवं 300-300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना दिनांक 22 जून 2017 की सुबह के लगभग 09:30 बजे ग्राम झांतला स्थित फरियादीया के घर की हैं। फरियादिया शांतिबाई ने थाना सिंगोली में सूचना दी कि उसका व उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपीगण का पूर्व से विवाद होकर रंजीश चल रहीं हैं, जिस कारण घटना दिनांक को आरोपीगण ने एकमत होकर लट्ठ से उसके साथ, उसके दामाद राजू, उसकी लडकी हेमलता व सास सुंदरबाई के साथ मारपीट की थी। चिल्लाचोट की आवाज सुनकार की आवाज सुनकर रमेशचंद तथा गोपाल ने बीच-बचाव किया। फरियादीया की रिपोर्ट पर से थाना सिंगोली में अपराध पंजीबद्ध किया गया व आहतगण का मेडिकल किये जाने के बाद आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियोग-पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया जाकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया एवं चारों आहतगण को 1200-1200रू. प्रतिकर प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा की गई।

खेत की सुरक्षा दीवार का ताला तोड़कर लकड़ी से लदा ट्रैक्टर किया चोरी

जिला पुलिस अधीक्षक से प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग

नीमच। पुष्पाबाई पति मदनलाल शर्मा, नि.हा.मु.चौधरी मोहल्ला, नीमच सिटी नीमच ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी, पुलिस थाना नीमच केन्ट को लिखित शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उसके पति द्वारा लीज पर लिए नीमच जायसवाल समाज समिति के खेत की सुरक्षा दीवार के ताले तोडकर कुछ लोगों ने लकडी से लदा ट्रेक्टर चोरी कर लिया है, जिन पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावे।

शिकायती आवेदन में पुष्पाबाई ने बताया कि उसके पति मदनलाल शर्मा ने नीमच जायसवाल समाज समिति नीमच (रजि.) के अध्यक्ष सुरेशसिंह पिता स्व.लालचंदजी जायसवाल से उनके आधिपत्य की भूमि नीमच सिटी रोड बालक छात्रावास के पीछे की स्थित भूमि खेत नं. 4 व 16 को 11 माह की लीज पर ले रखा है। उक्त भूमि पर सुरक्षा हेतु नीमच सिटी रोड की तरफ लोहे का गेट है, जिस पर दो ताले लगे थे। उक्त भूमि पर बैर का एक पेड तेज हवा से गिर गया था जिसे काटकर श्मशान में डालने के लिये रखा था परन्तु बरसात आने के कारण वह नहीं डाल पाये एवं उक्त ट्रैक्टर मय लकडी के खेत पर ही खडा था। दिनांक 1 जुलाई 2025 की शाम 7 बजे जायसवाल समाज के कुल 12-15 लोग खेत पर बने मंदिर पर आये, जिनमें रमेश जायसवाल, शैलेन्द्र जायसवाल, मुकेश जायसवाल, अजय जायसवाल, सचिन जायसवाल, विरेन्द्र कुमार जायसवाल, राजू पिता ओमप्रकाश जायसवाल प्रमुख थे एवं उनके 10-12 साथी भी साथ थे। कुछ समय बाद उक्त सभी व्यक्ति मिलकर नीमच सिटी की तरफ लगे गेट पर दो ताले तोड रहे थे तो हमने मना किया तो वह चले गये। उनमें से कुछ लोग खेत पर खडे ट्रैक्टर की फोटो भी खींच रहे थे और फिर रात में रमेश जायसवाल, शैलेन्द्र जायसवाल, मुकेश जायसवाल, अजय जायसवाल, सचिन जायसवाल, विरेन्द्रकुमार जायसवाल, राजू पिता ओमप्रकाश जायसवाल एवं उनके 10-12 साथी खेत पर आये और खेत के गेट पर लगे ताले तोडकर प्रार्थीया का ट्रेक्टर एम.पी.13 के 8281 लकडी सहित ले गये और गेट पर लगे ताले भी ले गये। प्रार्थीया एवं उसके पति ने ट्रेक्टर की काफी खोजबीन की परन्तु ट्रेक्टर नहीं मिला। पूर्व में भी यह सभी खेत पर आकर आये-दिन विवाद करते रहे हैं एवं प्रार्थीया के पति द्वारा पूर्व में भी इनकी शिकायतें की हैं परन्तु कार्यवाही नहीं होने के कारण इनके हौंसले बुलंद हैं।पुश्पाबाई पति मदनलाल शर्मा जिला पुलिस अधीक्षक से खेत के गेट के ताले तोडकर प्रार्थीया का ट्रैक्टर मय लकडी के चोरी करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।

एक नजर पशुपतिनाथ मनोकामना अभिषेक की वर्षों पुरानी साख को निरंतर बनाये रखने के लिएसर्वप्रथम समस्त समाज प्रमुखों की बैठक

अभिषेक शुल्क 500 रू. के बजाय 100 रू. किए जाना उचित : टांक

मन्दसौर। भगवान पशुपतिनाथ की महिला को राष्ट्रव्यापी पहचान के लिये वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर जी.के. सारस्वत ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर को नवीन भव्य रूप देने की कल्पना को साकार रूप देने के उद्देश्य से मनोकामना अभिषेक प्रारंभ किया था प्रारंभ में आर्थिक दृष्टि से अभिषेक में प्रयोग की गई सामग्री आदि के लिये दान की राशि का प्रावधान किया गया था।

कलेक्टर सारस्वत के स्थानांतरण के बाद 2011 तक प्रबंध समिति स्वयं अभिषेक कराती रही। 2011 के बाद मनोकामना अभिषेक का दायित्व स्थानीय गायत्री परिवार ने लेकर लगातार 2012 से 2018 तक नि:शुल्क अभिषेक को जारी रखा और देखते-देखते 350 जोडों की क्षमता वाला सभागार (वर्तमान आराधना सभागार) अभिषेकार्थियों से जहां पूरा भर जाता था वहीं प्रति सोमवार सभागार के अतिरिक्त सभागार के नीचे दोनों परिसर भी पूरे भर जाते थे और तब एक नहीं तीन-तीन पारियों में अभिषेक होता था। अभिषेक में नगर ही नहीं आसपास क्षेत्रवासियों से ही नहीं म.प्र. और भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के दर्शनार्थी अभिषेक में सम्मिलित होते थे। वर्ष 2011 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान सपत्नीक पूरे समय मनोकामना अभिषेक में बैठे थे। बाद में एक बार और अभिषेक प्रारंभ से पूर्व मनोकामना अभिषेक मंच पर स्थानीय भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा की पूजा की थी।

गायत्री परिवार के बाद मनोकामना अभिषेक प्रबंध समिति ने अपने हाथों में लेकर अभिषेक पशुपतिनाथ संस्कृत पाठशाला बटुकों को सौंपा गया।

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. रविन्द्र पाण्डेय ने अपने मन की पीडा बताते हुए कहा कि सम्पूर्ण श्रावण का हजारों अभिषेकार्थियों को समूह में एक साथ अभिषेकार्थियों का जो गरिमामय इतिहास रहा है वह धीरे-धीरे प्रबंध समिति की उदासीनता से सामाजिक संगठनों की बैठक कर उनको सहभागिता बनाकर उत्तरदायित्व नहीं सौंपते हुए और अभिषेक राशी में काफी वृद्धि करने से विगत 2 वर्षों से जब से प्रबंध समिति ने एकदम राशि 500 रू. कर दी है। उससे संख्या कम होकर गत वर्ष किसी दिन एक भी अभिषेकार्थी के नहीं बैठने से अभिषेक कराने वाले पशुपतिनाथ संस्कृत पाठशाला के बटूकों को और प्रबंध समिति कार्यालयीन कर्मचारियों ने अभिषेक का क्रम परम्परा नहीं टूटे, मजबूरी में अभिषेक में बैठना प?ा।

नगर में आम चर्चा है कि जब प्रतिमाह पशुपतिनाथ मंदिर दान पेटी से लाखों रूपये संग्रहित हो रहे है तो फिर सामग्री के लिये 500 रू. की रसीद काटने का क्या औचित्य है। राशि केवल 100 रू. होना चाहिये।प्रारंभ से लेकर गत वर्ष तक पूरे श्रावण मास प्रतिदिन अभिषेक में निस्वार्थ सहयोगी के रूप में सेवा देने वाले योग गुरू बंशीलाल टांक का कहना है कि श्रावण मास प्रारंभ होने से 2-3 सप्ताह पूर्व प्रबंध समिति द्वारा नगर के समस्त समाज के प्रमुखों की बैठक आयोजित की जाकर उनके सुझाव लिये जाकर और प्रतिदिन क्रमवार समाजजनों के अभिषेक करने से उपस्थिति बरकरार रहती थी परन्तु समाज प्रमुखों की बैठक आहूत नहीं करने से और राशि एकदम 500 रू. करने से अभिषेक अभिषेकार्थियों से नगण्य होता जा रहा है।गत माह प्रबंध समिति अध्यक्ष कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रावण मास पशुपतिनाथ कार्यक्रमों में मनोकामना अभिषेक को सम्मिलित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने परन्तु समाज प्रमुखों की बैठक में नहीं बुलाने पर टांक ने जब इस संबंध में प्रबंधक राहुल रूनवाल से चर्चा की तो उन्होंने गत माह के अंतिम सप्ताह में सभी समाज प्रमुखों की बैठक की कहा था परन्तु गत माह समाप्त हो गया। इस माह जुलाई का प्रथम सप्ताह भी आधा हो गया। श्रावण मास जो कि 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है जिसमें मात्र 8 दिन शेष रहे हैं परन्तु फिर भी अभी भी समय है प्रबंध समिति अध्यक्ष कलेक्टर श्रीमती गर्ग को तत्काल समाज प्रमुखों की बैठक आहूत करना चाहिये, जिससे मनोकामना अभिषेक का 15 वर्षों पुराना जो ऐतिहासिक गरिमापूर्ण गौरव गरिमा है।